भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1602
दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

बाढ़ नियंत्रण के लिए निधि

†1602. श्री आनंद भदौरिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक, बाढ़ प्रबंधन/नियंत्रण और बाढ़ के कारण होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले नेपाल से अनियंत्रित पानी छोड़े जाने तथा शारदा और सरयू जैसी नदियों के उफान के कारण गंभीर और आवर्ती बाढ़ तथा भू-क्षरण का सामना कर रहे हैं, जिससे कृषि भूमि स्थायी रूप से जलमग्न हो जाती है, स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है और हजारों निवासी विस्थापित हो जाते हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में बाढ़ और इसके कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें जमीनी स्तर पर राहत सहायता का वितरण भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों एवं मानकों के अनुसार, उनके निपटान हेतु उपलब्ध कराई गई राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक समर्थन करती है तथा आवश्यक लॉजिस्टिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1602, दिनांक 28.07.2026

केंद्र सरकार ने सात शहरों (मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा चेन्नई) के लिए ₹3,075.65 करोड़ की कुल लागत से शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) – चरण-I तथा ग्यारह शहरों (भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर तथा लखनऊ) के लिए ₹2,444.42 करोड़ की कुल लागत से शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) – चरण-II को भी अनुमोदित किया है।

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) की बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक तथा नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यों हेतु राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा बाढ़ संभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस (Flood Hazard Atlas) विकसित किए गए हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने वर्ष 2025 में पायलट आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित बाढ़ पूर्वानुमान की पहल की है। इसका उद्देश्य देशभर की नदियों पर स्थित सीडब्ल्यूसी के जल-स्तर बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों के लिए एआई/एमएल तकनीकों पर आधारित अल्पावधि जल-स्तर बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) समयबद्ध सूचना प्राप्त करने एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा अन्य पूर्व चेतावनी एजेंसियों के साथ सतत् समन्वय बनाए रखता है। एनडीआरएफ की इकाइयाँ संबंधित राज्यों/जिला प्राधिकारियों के साथ नियमित एवं निकट समन्वय बनाए रखती हैं तथा राज्यों/जिलों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर निकासी (Evacuation) अभियान संचालित करती हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1602, दिनांक 28.07.2026

अनुलग्नक

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) की बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यों हेतु राज्यों को जारी की गई निधियां

राज्य	वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (₹ करोड़)	वर्ष 2026-27 में जारी केंद्रीय सहायता (₹ करोड़)
अरुणाचल प्रदेश	22.50	60.00
असम	79.18	35.00
बिहार	19.40	—
हिमाचल प्रदेश	42.69	1.25
जम्मू एवं कश्मीर	61.94	—
लद्दाख	9.60	—
मणिपुर	242.25	—
नागालैंड	2.59	—
उत्तराखंड	2.32	—
पश्चिम बंगाल	—	14.278

लोक सभा अता. प्र.सं. 1602, दिनांक 28.07.2026

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) की नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यों हेतु राज्यों को जारी की गई निधियां

राज्य	वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (₹ करोड़)	वर्ष 2026-27 में जारी केंद्रीय सहायता (₹ करोड़)
बिहार	187.36	0.20
पंजाब	1.65	—
उत्तराखंड	9.37	70.00
उत्तर प्रदेश	254.18	—
पश्चिम बंगाल	7.78	—